

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न्यायालय उ

क्रमांक : वाद/2023/115
प्राथी
पारुवेवी पत्नी
ताकरारान की

11/05/2023

प्राथी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों को नोटिस पूर्व में रजिस्ट्रड एडी भिजवाये गये जिनको करीब 4 माह का समय व्यतीत हो चुका है। विप्रार्थीगण बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहे। विप्रार्थीगणों को न्यायालय समय में तीन बार आवाज लगाई गई। अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्राथी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्राथी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्राथी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेंढा सेढ आए हुए है। प्राथी एवं विप्रार्थीगणों के खेतों की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आधियों की वजह से बिखर गए है जिसमें से प्राथीगणों एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेतों की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है। इस कारण प्राथी को अपने खेतों की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्राथी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्राथी अधिवक्ता के निवेदन पर प्राथी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ भू अ. निरीक्षक से प्राथी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा करा कर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफतर हो।

सहायक क्लर्क (SDO)
बायतु
जिला - बाडनेर

अहक
हुक्म का
में जारी हुए

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बालोतरा

क्रमांक : वाद/2023/1153

दिनांक : 11/9/23

प्रार्थी

पारुदेवी पत्नी ठाकराराम जाति जाट,
निवासी दर्जियों की ढाणी माधासर
तहसील बायतु

बनाम

विप्रार्थी

धनाराम पुत्र हरखाराम वगैरा 11 जातियान
जाट निवासी दर्जियों की ढाणी माधासर
तहसील बायतु

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 63/2023

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा दर्जियों की ढाणी पटवार हल्का माधासर तहसील बायतु जिला बालोतरा के खेत खसरा नं. क्रमशः 145/67, 151/67 रकबा क्रमशः 0.2023, 0.2023 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/-जमा करा कर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद/2023/1154-58

प्रतिालि. निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवार हल्का माधासर तहसील बायतु जिला बालोतरा को भेज कर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रह कर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी पारुदेवी पत्नी ठाकराराम
4. विप्रार्थी धनाराम पुत्र हरखाराम वगैरा 11
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/नागाणा/गिड़ा

(प्रमाद कुमार) (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला- बालोतरा
दिनांक : 11/9/23

(प्रमाद कुमार) (SDO)
उपखण्ड अधिकारी
बायतु
जिला- बालोतरा